● साहस ● पहल ● प्रयोग

# राष्ट्रीय स्वाभिमान आन्दोलन

संयोजक
के.एन. गोविन्दाचार्य

दिनांक.....

# केन्द्रीय बजट का सात प्रतिशत ग्राम पंचायतों को मिले

महात्मा गांधीजी की प्रेरणादायी पुस्तक 'हिन्द स्वराज' का यह शताब्दी वर्ष है। गांधीजी जिस स्वराज की बात करते थे, उसकी सार्थकता सच्चे अर्थों में 'ग्राम स्वराज्य' स्थापित करने में है। संविधान में संशोधन करके स्थापित 'पंचायती राज' क्यों प्रभावी भूमिक नहीं निभा पा रहा है? जब हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि आर्थिक संसाधनों पर पंचायतों का पर्याप्त नियंत्रण न होना इसका एक बड़ा कारण है। कहने को तो पंचायतों के पास खूब पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन वह सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है। पंचायतों पर नौकरशाही का शिकंजा यथावत बना हुआ है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के साठ वर्ष से अधिक बीत जाने के बावजूद अधिकांश गांवों की बदहाली और कंगाली में कहां फरक पड़ा है? 1991 से आर्थिक सुधार का दौर शुरू होने के बाद से शहरों और गांवों के बीच की खांई और अधिक चौड़ी हुई है। केन्द्र और राज्य सरकारों की अनेक योजनाएं गांवों के विकास के लिए लागू हैं पर उनकी दशा तो सब जानते ही हैं। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बार कहा था, ''विकास कार्यों के लिए दिल्ली से भेजे गए एक रुपए में से 15 पैसा ही आखिर तक पहुंचता है।'' इस बात का अहसास होने के पश्चात ही उन्होंने 'पंचायती राज' की बात करनी शुरू की थी।

सन 1993 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा नए सिरे से 'पंचायती राज' की व्यवस्था बनी। पंचायतों का ढांचा खड़ा हुआ और उन्हें कुछ कार्यों के अधिकार भी दिए गए। पर साथ में आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था न करने से पंचायती राज का सपना अधूरा ही रह गया। पंचायती राज के ढांचे को खड़े 15 से अधिक वर्ष बीत जाने पर भी अपेक्षित परिणाम कागजों से बाहर नहीं आ पाए हैं। 'पंचायती राज' कानून में राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई थी कि वे पंचायतों को कार्य के अधिकार के साथ-साथ आर्थिक संसाधन भी हस्तांतरित करेंगे। लेकिन अधिकांश राज्य सरकारें तो दिवालिया होने के कगार पर हैं। उनमें से अनेक को अपने कर्मचारियों को वेतन तक ऋण लेकर देना पड़ता है। वे कहां से 'ग्राम पंचायतों' को धन हस्तांतरित करेंगी?

तो फिर कैसे गांवों तक विकास और विकास के लाभ को पहुंचाया जाए? अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो एक तरफ गांव उजड़ते चले जाएंगे और दूसरी तरफ आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा शहरों की झुग्गी-झोपड़ियों में बसने के लिए अभिशप्त हो जाएगा। फिर रास्ता क्या है?

अब सबसे असरदार रास्ता दिखता है- केन्द्रीय बजट से सीधे 'ग्राम पंचायतों' को धन हस्तांतरित करना। आज देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। अत: केन्द्र सरकार के बजट की कम से कम 7 प्रतिशत राशि सीधे ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जाए। सभी ग्राम पंचायतों को यह राशि उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिले क्योंकि बड़े गांव वैसे भी चल रही अन्य सरकारी योजनाओं को अपनी ओर खींचते रहते हैं। इस हस्तांतरण को सरल तथा प्रभावी बनाने के लिए निम्न रूप से लागू किया जा सकता है-

(1) केन्द्र सरकार सीधे ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में धन भेजे।

(2) ग्राम सभा विकास कार्यों को मंजूर करे।

(3) ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत योजनाओं को ग्राम पंचायत लागू करे।

(4) राज्य सरकार केवल ग्राम पंचायतों के बही खातों की आडिट करे।

(5) बजट के बाद प्रति वर्ष मार्च में हस्तांतरित राशि का प्रचार-प्रसार उसी तरह हो जैसे सरकार आजकल पोलियो निर्मूलन अभियान चलाती है।

वर्तमान में केन्द्रीय बजट 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होता है। अत: उसकी 7 प्रतिशत राशि लगभग 50 हजार करोड़ रुपए होती है। देश में इस समय लगभग 2.5 लाख 'ग्राम पंचायतें' हैं। अत: प्रत्येक ग्राम पंचायत के हिस्से में 20 लाख से अधिक राशि आएगी। जिन समाज सेवकों ने ग्राम विकास के क्षेत्र में काम किया है वे बता सकते हैं कि हर साल 20 लाख रुपए मिलने पर कैसे गांवों का कायाकल्प हो सकता है। आज भी हजारों स्वयंसेवी संस्थाएं, समाजसेवक और समर्पित सरपंच हैं जो आर्थिक संसाधनों के अभाव में भी क्रियाशील हैं। केन्द्र से ग्राम पंचायतों को उपरोक्त राशि मिलने पर देश में हजारों आदर्श गांव स्थापित हो जाएंगे जो अन्यों को अनुकरण करने के लिए मार्गदर्शन भी करेंगे और बाध्य भी। बाध्य इस तरह से कि लोग पूछेंगे कि जब उतनी ही राशि से उस गांव का कायापलट हो गया तो हमारे गांव में क्यों नहीं?

कुछ लोग इस मांग का विरोध करेंगे कि पंचायतों में भ्रष्टाचार होगा। लेकिन यह तर्क खोखला है। भ्रष्टाचार की आशंका के कारण किसी अच्छी योजना का विरोध हो तो सबसे पहले केन्द्र और राज्य सरकारों की सभी योजनाओं को बंद कर देना होगा,क्योंकि वहां तो भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार हुआ भी तो 10-15 प्रतिशत ही होगा। न कि सरकारी योजनाओं की तरह 85 प्रतिशत। पंचायतों में 10 से 15 प्रतिशत तक होने वाले भ्रष्टाचार पर भी धीरे-धीरे ग्राम सभाएं नियंत्रण कर लेंगी।

कुछ लोग ग्रामीणों की क्षमता पर प्रश्न उठा कर इस राशि हस्तांतरण का विरोध कर सकते हैं। इस विषय में महात्मा गांधी और विनोबा भावे बहुत स्पष्ट थे। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों पर उसी तरह भरोसा किया जाना चाहिए जैसा कि अन्य सरकारी एजेंसियों पर। स्वतंत्रता के ठीक पश्चात श्री काकासाहब गाडगिल ने ग्राम स्वराज्य के विषय में कहा था 'स्वराज्य का अर्थ ही गलती करने की संधि और उस गलती से सीखने की संधि होती है।' अत: क्षमता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करना विरोध का बहाना मात्र है।

यहां यह समझना होगा कि ग्रामसभा और ग्राम पंचायत में अंतर है। ग्राम सभा का मतलब है कि उस गांव में रहने वाले सभी वयस्क मतदाता। जबकि ग्राम पंचायत का मतलब है ग्राम सभा द्वारा चुने हुए लोग। तुलनात्क रूप से कहें तो ग्राम सभा संसद हुयी और ग्राम पंचायत मंत्रिमंडल। वर्तमान व्यवस्था में ग्राम सभा अधिकार शून्य है। ग्राम सभा का नियंत्रण न होने के कारण ग्राम पंचायत के सर्वेसर्वा बन बैठे मुखिया नौकरशाही के साथ मिलकर गांव में आए पैसों को हजम कर जाते हैं। यदि गांव के पैसे पर ग्रामसभा का पूर्ण नियंत्रण हो जाए तो भ्रष्टाचार पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जा सकता है।

केन्द्र सरकार के बजट से 7 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित होने से जहां एक तरफ उसके गुणनात्मक प्रभाव (Multiplier Eftect) से देश की विकास दर आने वाले अनेक वर्षों तक दहाई अंक में बनी रहेगी, वहीं 'हिंद स्वराज' के शताब्दी वर्ष में वह महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी।

भवदीय

**के. एन. गोविन्दाचार्य**

संयोजक,

राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन

---

**कार्यालय : 535 द्वितीय तल, डबल स्टोरी एरिया, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060, फोन नं. 011.28742395**